Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

''राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (NMHS)''

वर्ष 2017–18 हेतु माँग परक क्रियात्मक शोध प्रस्तावों का आमंत्रण (II)

हिमालय की महत्ता का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में केन्द्र पोषित योजना (Central Sector Grant-in-aid Scheme) के अर्न्तगत ''राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एन.एम.एच.एस)'' की शुरूआत की थी। जिसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकी, प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक–आर्थिक धरोहर का सतत पोषण एवं विकास करना है। मिशन के अर्न्तगत वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं को माँग परक क्रियात्मक शोध हेतु निम्न सात व्यापक क्षेत्रों में केन्द्रित किया गया हैः– **(1) जल संसाधन प्रबंधन (Water Resources Management); (2) आजीविका विकल्प एवं रोजगार सृजन (Livelihood Options and Employment Generation); (3) जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्धन (Biodiversity Conservation and Management); (4) कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण (Skill Development and Capacity Building); (5) ढॉचागत विकास (Infrastructure Development); (6) भौतिक संपर्क (Physical Connectivity); एवं (7) खतरनाक पदार्थो का प्रबंधन (Handling of Hazardous Substances)। परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य हिमालयी वित्तीय विषमताओं के सुधार पर केन्द्रित होना चाहिए।**

वर्ष 2017–18 के लिए हिमालयी अध्ययन में पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित संस्थान/विश्वविद्यालय जिनके पास भारतीय हिमालय क्षेत्र में क्रियात्मक शोध कार्य हेतु पर्याप्त अनुभव एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। **उत्तर–पूर्व क्षेत्र के शोध प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी और साथ ही हिमालयी क्षेत्र में महिलाओं से केन्द्रित मुद्दों को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्ताव को वैबसाइट में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार माँग–परक क्रियात्मक शोध कार्यों पर केन्द्रित होना चाहिए। शोध प्रस्तावों की समान प्रवृत्ति एवं कार्य क्षेत्र होने पर उन्हें मिशन के सक्षम अधिकारी द्वारा क्रियान्वयन हेतु आपस में संयुक्त भी किया जा सकता है। शोध प्रस्तावों का चयन उनके हिमालय क्षेत्र की प्राथमिकता, हितधारकों की आवश्यकता एवं शोधकर्ता के अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

परियोजना की अवधि तीन वर्ष होगी। इस हेतु प्रतिष्ठित संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन अपनी शोध परियोजना को निर्धारित प्रपत्र पर मुख्य एवं सहायक शोध परियोजना प्रस्तावकों के बायो–डाटा के साथ अपने संस्थान के अध्यक्ष की संस्तुति से भेज सकते हैं।

इस योजना की विस्तृत जानकारी एवं परियोजना प्रस्ताव जमा करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तथा प्रपत्र एनएमएचएस–पीएमयू की वेबसाइट (www.nmhs.org.in), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट (www.moef.nic.in) तथा गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान की वैबसाइट (http://gbpihed.gov.in) पर उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्ताव की 10 प्रतियॉ निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त सात में से किसी भी विषय क्षेत्रों में तैयार करके स्पीड पोस्ट द्वारा लिफाफे के बाहर से **''एनएमएचएस 2017–18 हेतु परियोजना प्रस्ताव''** लिखकर एनएमएचएस–पीएमयू के नोडल ऑफिसर को निम्न पते पर भेजेंः–

ई. किरीट कुमार
नोडल अधिकारी, एनएमएचएस–पीएमयू
गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान
कोसी–कटारमल, अल्मोड़ा–263643 (उत्तराखण्ड)

इसके अलावा इस परियोजना की सॉफ्ट कॉपी ई–मेल द्वारा nmhspmu2016@gmail.com तथा प्रतिलिपि डा. सुब्रता बोस, अपर निदेशक, माउन्टेन डिविजन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को ई–मेल (subrata.bose@nic.in) भी भेजें।

प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथिः– 09 फरवरी 2018

प्रशासनिक अधिकारी
दूरभाष : 05962–241015